"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त 2017— श्रावण 19, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त, 2017 (श्रावण 19, 1939)

क्रमांक-8270/वि. स./विधान/2017. — छत्तीसगढ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 9 सन् 2017) को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2017

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में,-

(क) खण्ड (ङ) का लोप किया जाए;

(ख) खण्ड (ङ-ख) का लोप किया जाये;

(ग) खण्ड (ड) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग 1, 2 तथा 4" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए;

(घ) खण्ड (भ) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग-तीन" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए; और

(ङ) खण्ड (म) में, परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 में,-

(क) उप-धारा (1) का लोप किया जाए; और

(ख) उप-धारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 8 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,-

(क) उप-धारा (1) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए; और

(ख) उप-धारा (2) में, शब्द एवं अंक "अनुसूची-2 के भाग 3" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 9, 10, 11 एवं 12 का लोप.

5. मूल अधिनियम की धारा 9, 10, 11 एवं 12 का लोप किया जाए.

6. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :- धारा 13 का संशोधन.

"13. **आगत कर का रिबेट.**- ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों, जैसा कि विहित किया जाए, के अध्यधीन रहते हुए, इस धारा में आगत कर के रिबेट का दावा निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई माल, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, आगत कर के भुगतान करने के पश्चात् भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिये क्रय करता है; और

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई माल, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, आगत कर के भुगतान करने के पश्चात् धारा 38 की उप-धारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीकृत व्यवसायी को विक्रय के लिये क्रय करता है."

7. मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द एवं अंक "या धारा 9" का लोप किया जाए. धारा 14 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 15 का लोप किया जाए. धारा 15 का लोप.

9. मूल अधिनियम की धारा 15-क में, जहां कहीं भी शब्द एवं अंक "अनुसूची-2" आया हो के स्थान पर, शब्द "अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 15-क का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 18, 20, 27 एवं 28 का लोप किया जाए. धारा 18, 20, 27 एवं 28 का लोप.

11. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (1) में, शब्द एवं अंक "जो धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अपर आयुक्त को तथा धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ), (ड.) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील, अपीलीय उपायुक्त को कर सकेगा" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "जहां ऐसा आदेश धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) एवं (घ) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, अपर आयुक्त को तथा जहां ऐसा आदेश धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, अपीलीय उपायुक्त को, कर सकेगा," प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 48 में संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 58 एवं 59 का लोप किया जाए. धारा 58 एवं 59 का लोप.

13. मूल अधिनियम की धारा 64 में, उप-धारा (1) में,- धारा 64 का संशोधन.

(क) खण्ड (क) में, शब्द एवं अंक "धारा 11 या" का लोप किया जाए; और

(ख) खण्ड (ञ) में, उप-खण्ड (एक) एवं (दो) का लोप किया जाये.

14. मूल अधिनियम की धारा 65 का लोप किया जाए. धारा 65 का लोप.

15. मूल अधिनियम की धारा 71 में, उप-धारा (2) में,- धारा 71 का संशोधन.

(क) खण्ड (ङ) एवं (च) का लोप किया जाए;

(ख) खण्ड (ब) में, उप-खण्ड (चार) में, पैरा (क), (ख) एवं (ग) का लोप किया जाये; और

(ग) खण्ड (म) का लोप किया जाए.

धारा 72 का संशोधन. 16. मूल अधिनियम की धारा 72 में, परन्तुक में, खण्ड (एक) में, उप-खण्ड (ख) में, शब्द "सम्मिलित करते हुए" के स्थान पर, शब्द "छोड़कर" प्रतिस्थापित किया जाए.

अनुसूची-1, 2 एवं 3 का प्रतिस्थापन. 17. मूल अधिनियम की अनुसूची-1, 2 एवं 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :-.

"अनुसूची
[धारा 8 की उप-धारा (1) एवं (2) देखिए]

अनु. क्र. (1)	वस्तु का विवरण (2)	कर की दर (3)
1.	हाई स्पीड डीजल	25 प्रतिशत + 1 रुपया प्रति लीटर
2.	पेट्रोल	25 प्रतिशत + 2 रुपया प्रति लीटर
3.	पेट्रोलियम क्रुड	25 प्रतिशत
4.	प्राकृतिक गैस	25 प्रतिशत
5.	एविएशन टरबाईन फ्यूल	25 प्रतिशत
6.	एफ. एल. -10 अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा	8.5 प्रतिशत

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची में राज्य सूची, सूची–2 में, संविधान (एक सौ एकवाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल तथा मानव उपयोग हेतु अल्कोहल द्रव्य के विक्रय पर कर अधिरोपित करने हेतु, प्रविष्टि 54 के अंतर्गत राज्य शासन को समर्थ बनाने के लिये संशोधन किया गया है।

और यतः, 1 जुलाई, 2017 से छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्र.7 सन् 2017) प्रवृत्त है तथा उक्त अधिनियम की धारा 174 के द्वारा उपरोक्त उल्लिखित माल के लिये छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) आरक्षित तथा भारत के संविधान की सातवी अनुसूची की राज्यसूची के प्रविष्टि कमांक 54 में सम्मिलित किया गया है।

अतएव, इसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल तथा मानव उपयोग हेतु अल्कोहल द्रव्य के विक्रय पर ही लागू करने के लिये, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को संशोधित करना आवश्यक है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत।

अमर अग्रवाल,
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 27 जुलाई, 2017

''संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

उपाबंध

अध्याय–1

प्रारंभिक

****

धारा 2 :

परिभाषाएं

इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, –

(क) **''अपीलीय उपायुक्त''** से अभिप्रेत है। धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर और उसमें अपीलीय अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर सम्मिलित है।

****

(ङ) **''पूंजीगत माल''** से अभिप्रेत है, ऐसे उपस्कर जो कि अधिसूचित की जाय को अपवर्जित करते हुए संयंत्र (प्लांट), मशीनरी तथा उपस्कर जो प्रत्यक्षतः विनिर्माण प्रक्रिया और/या कारोबार के दौरान उपयोग में लाए जाते है।

****

(ड.–ख) **''पके अन्न''** (कुक्ड फुड) में मिठाइयां और मिष्ठान, नमकीन, मिश्री, बताशा, चिरोंजी, श्रीखण्ड, रबडी, दूध पाक, पीने के लिए तैयार चाय और काफी सम्मिलित है किन्तु उसमें आइस्क्रीम, कुल्फी, आइसकेण्डी अमद्यसारिक (नान–एल्कोहलिक) पेय जो आइस्क्रीम से युक्त हो, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चाकलेट्स टॉफीज, चूषिकाएँ (लाजेज), पिपरमिण्ट की गोलियां और मावा सम्मिलित नहीं है,

****

(ड) **''आगत कर''** से अभिप्रेत है, **अनुसूची–दो के भाग 1, 2 तथा 4** में विनिर्दिष्ट किसी माल के क्रय के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, धारा 8 के अधीन, विक्रय करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जो ऐसे माल के विक्रय पर कर का संदाय करने का दायी है, कर के रूप में संदत्त की गई या देय कोई रकम।

****

(भ) अनुसूची–2 के भाग–3 में विनिर्दिष्ट किसी माल जिस पर धारा 8 के अधीन कर देय है, के संबंध में ''करदत्त माल'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा माल, जिसका क्रय किसी व्यापारी ने किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं.74) की धारा 4 के अर्थ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किया है;

(म) किसी कालावधि के संबंध में **''कुल राशि''** (टर्न ओवर) से अभिप्रेत है उस कालावधि के दौरान किए गए माल के किसी विक्रय या प्रदाय या वितरण के संबंध में व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए तथा प्राप्त किए जाने योग्य विक्रय मूल्य की कुल राशि (टर्न ओवर) चाहे वह संपूर्णतः या उसका कोई भाग कर के दायित्वाधीन है या नहीं, किन्तु उसमें से वह रकम यदि कोई है, जो कि ऐसे विक्रय की तारीख से छः मास के भीतर केता द्वारा क्रय किए गए या लौटा दिए गए किसी माल के संबंध में व्यापारी द्वारा ऐसे क्रेता को प्रतिदाय कर दी गई है, घटा दी जाएगी :

परन्तु–

(एक) छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) में यथा परिभाषित वास्तविक कृषक द्वारा घी के, जो कि उसके स्वयं द्वारा उत्पादित किया है, विक्रय के मामले; या

(दो) किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी कृषि या उद्यान कृषि उपज के, जो कि उसके स्वयं के द्वारा उगाई गई है या किसी ऐसी भूमि पर उगाई गई है जिसमें कि वह चाहे स्वामी, भोग बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा हित रखता है, विक्रय के मामले, उस स्थिति में जबकि ऐसी उपज का विक्रय, उसे उपभोग के योग्य बनाने के हेतु उसे केवल भूसी रहित किए जाने, साफ किए जाने, छांटे जाने या चुने जाने के सिवाए उस पर कोई भौतिक, रासायनिक या अन्य प्रक्रिया न की जाकर उसी रूप में किया जाए जिसमें कि उसका उत्पादन किया गया था,

ऐसे विक्रयों से संबंधित प्रतिफल की रकम उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) में से अपवर्जित कर दी जाएगी;

****

अध्याय–3

कर का भार

****

धारा 6 :

व्यापारियों के कतिपय वर्गों का संयुक्त और पृथक दायित्व

(1) (क) जहॉ कोई व्यापारी (जो इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट है) उसके द्वारा की गई संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में माल के प्रदाय का कारबार किसी दूसरे ऐसे व्यापारी की मार्फत (जो इसमें इसके पश्चात् उप–ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट है) सीधे या अन्यथा करता है और उप–ठेकेदार ने ऐसी संकर्म संविदा का निष्पादन किया हैं और उनमें से प्रत्येक या कोई इस

अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी है, तब इस अधिनियम के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ठेकेदार और उप ठकेदार ऐसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में की संपत्ति चाहे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, के अंतरण के संबंध में संयुक्ततः और पृथकतः कर चुकाने के लिए दायी होंगे।

(ख) यदि ठेकेदार आयुक्त के समाधानप्रद रूप में विहित रीति में यह साबित कर देता है कि संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में प्रदाय किए गए माल की कुल राशि (टर्न ओवर) पर उप–ठेकेदार द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है तो ठेकेदार ऐसे माल की कुल राशि (टर्न ओवर) पर पुनः कर का भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

(2) (क) जहॉ कोई व्यापारी, अपने मालिक की ओर से अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल का, किसी तय किए गए प्रतिफल (जो इसमें इसके पश्चात् कमीशन अभिकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) के बदले में, वास्तविक क्रय करता है या विक्रय करता है, वहां ऐसा कमीशन अभिकर्ता तथा उसका मालिक दोनों संयुक्ततः और पृथकतः इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने के दायी होंगे।

****

अध्याय–4

कर का उद्ग्रहण

धारा 8

कर का उद्ग्रहण

(1) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट माल पर कर ऐसी दर से जो उसके कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, उद्गृहीत किया जायेगा और ऐसा कर, इस अधिनियम के अधीन कर का चुकारा करने के लिये दायी व्यापारी की करयोग्य कुल राशि पर उद्गृहीत किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, **अनुसूची–2 के भाग 3** के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल विक्रय पर, उप–धारा (1) के अधीन कर की दर और ऐसी विनिर्दिष्ट रकम प्रति लीटर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, उद्ग्रहित की जा सकेगी।

****

धारा 9

क्रय कर का उद्ग्रहण

(1) सिवाय उसके, जहां माल धारा 2 के खंड (भ) के अर्थ के अंतर्गत करदत्त माल है, प्रत्येक ऐसा व्यापारी, जो अपने व्यापार के अनुक्रम में कोई ऐसा माल जो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट है किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से भिन्न किसी व्यक्ति से या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से उन परिस्थितियों में

जिनमें कि ऐसे माल के विक्रय मूल्य पर धारा 8 के अधीन कोई कर उस रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा देय नहीं है, क्रय करता है वहां वह ऐसे माल के क्रय मूल्य पर कर चुकाने के दायित्वाधीन होगा यदि,–

(क) माल का उसके क्रय के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय नहीं किया जाता है, किन्तु उसका विक्रय या व्ययन अन्य प्रकार से किया जाता है या धारा 15 या 15–ख के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए माल के विनिर्माण में उसका उपयोग किया जाता है; जिनका भारत के राज्य के क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न प्रकार से व्ययन किया जाता है; या

(ख) ऐसा माल जो अनुसूची–2 के भाग 3 और/या अनुसूची 3 के अंतर्गत है, माल के विनिर्माण में उपभोग या उपयोग किया जाता है; या

(ग) ऐसा माल जो अनुसूची–2 के भाग 1, 2 तथा 4 में वर्णित है और अनुसूची–3 मे वर्णित नहीं है, अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी माल के विनिर्माण में उपयोग या उपभोग के पश्चात, विनिर्मित माल छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से भिन्न रूप में व्ययन किया जाता है।

और ऐसा कर,

(एक) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट माल के संबंध में अनुसूची–2 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, और

(दो) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट माल के संबंध में 4 प्रतिशत की दर से या अनुसूची–2 के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट दर से, जो भी कम हो, उद्गृहीत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण – अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट कर की दर वह दर होगी, जिस दर से राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर ऐसे कर की तारीख को कर उद्गृहीत किया गया होता।

(2) इस धारा के अधीन कोई कर,–

(क) किसी ऐसे व्यापारी पर, किसी वर्ष के संबंध में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) वर्ष में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन विहित की गयी सीमा से अधिक नहीं है;

(ख) किसी अन्य व्यापारी पर, जिसकी कोई कुल राशि (टर्न ओवर) न हो, किसी भी वर्ष के संबंध में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा यदि समस्त माल के क्रय मूल्यों का योग ऐसी रकम, जो कि विहित की जाए, से अधिक नहीं है।

(3) प्रत्येक ऐसे व्यापारी को, जिसकी कोई कुल राशि (टर्न ओवर) नहीं है और जो उपधारा (1) के अधीन कर चुकाने के दायित्वाधीन है, धारा 19, 21, 22, 25, 26 तथा 41 के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यापारी समझा जाएगा।

धारा 10

कर का प्रशमन

(1) (क) आयुक्त ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जो उसके द्वारा की गई संकर्म संविदा के निष्पादन के अनुक्रम में पूर्णतः या भागतः माल का प्रदाय करने का कारोबार करता है उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर के बदले 15 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जो विहित की जाए, विहित रीति से एकमुश्त रकम प्रशमन के रूप में भुगतान करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ख) राज्य सरकार खण्ड (क) के अधीन प्रशमन के रूप में एकमुश्त रकम के अवधारण के प्रयोजन के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार की संविदाओं के लिए भिन्न–भिन्न दरें विहित कर सकेंगी।

(2) (अ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो राज्य के भीतर किसी ऐसे अन्य व्यापारी से, धारा 8 के अधीन कर का उसको भुगतान करने के पश्चात् अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट माल का क्रय कर रहा हो और/या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट माल क्रय कर रहा हो, और/या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जो पके अन्न (कुक्ड फुड) का निर्माण करता है और ऐसे माल का राज्य के भीतर विक्रय करता है और जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) किसी वर्ष में साधारणतया साठ लाख रूपये से अधिक नहीं होती है, ऐसे वर्ष के प्रारंभ होने के या रजिस्ट्रेशन के दिनांक, जो कि व्यवसाय प्रारंभ होने के पश्चात् उस वर्ष में जारी किया गया है, यथा स्थिति तीन माह के भीतर विहित प्ररूप में धारा 8 के अधीन उसके द्वारा देय कर के बदले में एकमुश्त राशि ऐसी दर से, ऐसी राति में तथा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि विहित किए जाएं चुकाने का विकल्प ले सकेगा।

(ब) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापरी उस वर्ष के दौरान जिसके लिए उसके द्वारा ऐसा विकल्प दिया गया है विहित किन्हीं भी निर्बन्धनों तथा शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसके द्वारा दिया गया विकल्प प्रतिसंहृत हो जाएगा।

(3) धारा 19, 21, 41 तथा 42 के उपबन्ध ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को जिसे उपधारा (1) प्रशमन के रूप में एकमुश्त रकम संदाय करने को अनुज्ञा दी गई है और जो उक्त उपधारा के अधीन विहित निर्बन्धों तथा शर्तो का अनुपालन करता है ऐसी अवधि के लिए तथा ऐसी वस्तुएं जिसके लिए ऐसे कर का प्रशमन किया गया है तथा ऐसे व्यापारी को जिसके द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर के प्रशमन के लिए विकल्प दिया गया है लागू नहीं होंगे।

धारा 11

व्यापारी कतिपय परिस्थितियों में कर का भार कृषकों तथा उद्‌यान कर्मियों पर नहीं डालेगा

कोई भी व्यापारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो स्वयं अपने द्वारा उगाई गई या किसी ऐसी भूमि पर, जिसमें वह स्वामी, भोग बंधकदार अथवा अभिधारी के रूप में अन्यथा हित रखता है उगाई गई कृषि या उद्‌यान कृषि उपज बेचता है उस स्थिति में कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा

जबकि ऐसी उपज का विक्रय, उसे उपभोग के योग्य बनाने हेतु उसे केवल भूसी रहित किए जाने, साफ किए जाने, छांटे जाने या चुने जाने के सिवाय उस पर कोई भौतिक, रसायनिक या अन्य प्रक्रिया न की जाकर उसी रूप में किया जाए जिसमें कि उसका उत्पादन किया गया था।

धारा 12

आधान (कंटेनर) या संवेष्टन सामग्री (पैकिंग मटेरियल) पर कर की दर

धारा 8 या 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई माल किसी आधान या संवेष्टन सामग्री में पैक किया हुआ विक्रय या क्रय किया जाता है वहां उस आधान या संवेष्टन सामग्री के, जिसमें ऐसा माल इस प्रकार से पैक किया गया है, संबंध में यह समझा जाएगा कि उसका विक्रय या क्रय ऐसे माल के साथ किया गया है और धारा 8 या धारा 9 के अधीन कर ऐसे आधान या संवेष्टन सामग्री के विक्रय या क्रय पर कर की उसी दर पर, यदि कोई हो, उद्ग्रहणीय होगा जो स्वयं उस माल के यथा स्थिति विक्रय या क्रय को लागू होती है :

परन्तु धारा 8 या धारा 9 के अधीन वहां कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा जहॉं आधान या संवेष्टन सामग्री का विक्रय या क्रय ऐसे माल के साथ किया जाता है जो धारा 15 के अधीन कर मुक्त घोषित किए गए हैं।

धारा 13

आगत कर का रिबेट

(1) उपधारा 5 के उपबंधों और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाएं, इस धारा में यथा उपबंधित आगत कर के रिबेट का दावा नीचे विनिर्दिष्ट की गई परिस्थितियों में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(क) **(i)** जब कोई रटिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची–2 के भाग 1, 2, तथा 4 में विनिर्दिष्ट कोई माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से, आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के लिये या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण में रूप में विक्रय के लिए क्रय करता है, और

(ii) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची–2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात्, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर कारबार के दौरान पूंजीगत माल के रूप में उपभोग के लिये क्रय करता है, और

(ख) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी, अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न कोई माल जिसमें पूंजीगत माल सम्मिलित है, जो कि अनुसूची–2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यापारी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची–2

में विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिये/खनन में उपयोग या उपभोग के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में विक्रय के लिये या अनुसूची–1 और/या अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात करने अनुक्रम में विक्रय के लिए अथवा धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आर्थक क्षेत्र में पंजीयत व्यवसायी को विक्रय के लिये क्रय करता है,

तब वह ऐसे कर की राशि के आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी की विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(ग) जहां कोई व्यापारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर उसके पश्चात धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने के लिए कोई आवेदन करता है, तब वह,–

(1) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर आगत कर का भुगतान करने के पश्चात्, क्रय किए गए माल के संबंध में जो अनुसूची–2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए; या

(2) इस अधिनियम के ऐसे प्रारंभ पर या उसके पश्चात् उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर, आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में जो अनुसूची–2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट है किंतु जो अनुसूची–3 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न है, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए,

और उसे, धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की वैधता की तारीख को उसके द्वारा धारित स्टाक के संबंध में आगत कर का दावा ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जैसी कि विहित की जाए, करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) (क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी उक्त उपधारा के खण्ड (क) और (ख) में कथित परिस्थितियों में अनुसूची–2 के भाग 1, 2 तथा 4 में विनिर्दिष्ट कोई माल, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कमीशन अभिकर्ता को विक्रय के लिए भेजता है, छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर विक्रय के प्रयोजन के लिए क्रय किए गए ऐसे माल के संबंध में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के रिबेट का दावा किया जाएगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जो कमीशन पर विक्रय के लिए माल प्राप्त करता है।

(ख) किसी आगत कर के रिबेट का दावा किसी ऐसे व्यापारी (मालिक), द्वारा नहीं किया जाएगा या न ही ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जाएगा, जो उक्त प्रयोजन के लिए ऐसा माल भेजता है।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) और धारा 73 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा आगत कर के रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन उसके या केन्द्रीय विक्रय कर

अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) के अधीन उसके द्वारा देय किसी कर के मद्दे समायोजित किया जाएगा और अधिशेष, यदि कोई हो, पश्चात्वर्ती वर्ष में देय किसी कर के मद्दे समायोजन के लिए लिया जाएगा।

परन्तु, यदि आगत कर के रिबेट की राशि असमायोजित रहती है, और व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदन दिनांक से एक वर्ष के भीतर कर निर्धारण किया जायेगा तथा ऐसी राशि वापसी के रूप में प्रदाय की जायेगी।

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा भारत राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के लिए अथवा धारा 38 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र में पंजीयत व्यवसायी को विक्रय के लिये, ऐसे क्रय के संबंध में आगत कर के रिबेट की कोई रकम जिसके लिए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी हकदार है, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा देय किसी कर के मद्दे समायोजित नहीं है, ऐसी रिबेट उसे प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जाएगी।

(5) (क) (एक) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई माल विक्रय के प्रयोजन के लिए अन्य ऐसे व्यापारी से क्रय करके उक्त उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अधीन ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है और अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे ऐसी रिबेट को समायोजित किया है तो ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में माल के विक्रय के लिये या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय के रूप से अन्यथा ऐसे माल के व्ययन की दशा में ऐसी कर की राशि चुकाने का दायी होगा. जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट उसके द्वारा समयोजित की गई थी।

(दो) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) में निर्दिष्ट कोई माल अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के उपयोग के लिए अथवा विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में या खनन के लिए/खनन में ऐसे माल के उपयोग या उपभोग के प्रयोजन के लिए अन्य ऐसे व्यापारी से क्रय करने के पश्चात् उक्त उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है और अपनी विवरणी या विवरणियों के अनुसार उसके द्वारा देय कर के मद्दे ऐसी रिबेट समायोजित की है, तो ऐसा व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य में या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में या राज्य के बाहर माल के अंतरण के रूप में माल के विक्रय के लिये या भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में विक्रय से अन्यथा रीति में विनिर्मित किए गए या खनन क़िए गए माल के व्ययन की दशा में, ऐसी कर की राशि चुकाने का दायी होगा जिसके मद्दे पूर्वोक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट उसके द्वारा समायोजित की गई थी।

(तीन) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने उपधारा (1) के खण्ड (क) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई माल क्रय किया है और उक्त खण्डों के अधीन उक्त माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा किया है, का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारा 16 की उपधारा (10) के अधीन निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसा व्यापारी उस तारीख को जब रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

का निरस्तीकरण प्रभावशील होता है, उसके द्वारा स्टाक में धारित माल के संबंध में उक्त खण्ड के अधीन आगत कर के रिबेट के रूप में दावा की गई रकम चुकायेगा।

(ख)जहां कर की वह राशि या आगत कर के रिबेट की वह राशि जिसे कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी खण्ड (क) के अधीन चुकाने का दायी है, उसके खाते में किसी आगत कर के मद्दे समायोजन योग्य नहीं है, वहाँ ऐसा व्यापारी इस प्रकार देय कर की राशि पर खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) या उपखण्ड (दो) में कथित रीति में माल के व्ययन की तारीख से प्रांरभ होने वाली कालावधि के लिए उसके भुगतान की तारीख तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज चुकाने का दायी होगा।

(6) रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, –

(एक) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में, जो विक्रय के लिए ऐसे अन्य व्यापारी से उसके द्वारा क्रय किया गया हो किन्तु जो मुफ्त सेंपल या दानस्वरूप या बदले के तौर पर उसके द्वारा दिया गया है या प्राप्त किया गया है;

(दो) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जो माल के विनिर्माण या खनन के उपयोग या उपभोग के लिए है किन्तु ऐसा विनिर्मित या खनित माल मुफ्त सेंपल या दानस्वरूप या बदले के तौर पर उसके द्वारा दिया गया है या प्राप्त किया गया है;

(तीन) उस माल के संबंध में जो कि धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प देने वाले व्यापारी द्वारा किया गया है. उपधारा (1) के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा नहीं किया जाएगा या न ही उसे इसके लिए अनुज्ञात किया जाएगा ;

(चार) धारा 10 के प्रावधानों के अधीन कर के प्रशमन का विकल्प लेने वाले व्यवसायियों से क्रय किये गये माल के संबंध में,

(पांच) अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में, जिसके विक्रय बिल, बीजक या कैश मेमो में कर की राशि पृथक से नही दर्शाई गई है।

(7) (क) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन आगत कर के रिबेट का दावा करने या रिबेट अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए अनुसूची– 2 के भाग तीन में वर्णित किसी माल को विनिर्दिष्ट कर सकेंगी, जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापारी छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी अन्य व्यापारी से ऐसा माल,–

(एक) धारा 8 के अधीन कर का उसको भुगतान करने के पश्चात, या

(दो) जो विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के पास करदत्त माल के रूप में हों,

ऐसे माल का अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट किसी माल के विनिर्माण के लिए/विनिर्माण में/खनन के लिए/खनन में उपयोग या उपभोग के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय के लिए क्रय करता है और तदुपरि ऐसे माल के संबंध में आगत कर के रिबेट का दावा ऐसी रीति में ऐसी सीमा तक, ऐसी

कालावधि के भीतर तथा ऐसे निर्बन्धन तथा शर्तो जैसी की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए करेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (दो) तथा उपधारा (2) से (5) के उपबंध आगत कर के रिबेट के लिए लागू होंगे जिसका खण्ड (क) में निर्दिष्ट माल के संबंध में दावा किया जा सकेगा या उसे ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा.

धारा 14

सबूत का भार

यह साबित करने का भार कि किसी व्यापारी द्वारा किया गया कोई विक्रय या क्रय यथास्थिति, धारा 8 या धारा 9 के अधीन कर के दायित्वाधीन नहीं है, अथवा यह कि वह धारा 13 के अधीन आगत कर के रिबेट के लिए पात्र है, व्यापारी पर होगा।

धारा 15

कर मुक्त माल

(1) अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट किए गए माल के विक्रय या क्रय पर, उसके कालम–तीन की तत्संबंधी प्रविष्टि में दी गई शर्तों और अपवादों के, यदि कोई हो, अध्यधीन रहते हुए, कोई कर देय नहीं होगा।

(2) राज्य सरकार, किसी माल के संबंध में, अधिसूचना द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन कर सकेगी जिससे कि उसके अंतर्गत ऐसा माल आ सके जो पहले से विनिर्दिष्ट नहीं है या उसके तीसरे कॉलम में की तत्संबंधी प्रविष्टि में दी गई शर्तों तथा दिए गए अपवादों में से किसी शर्त तथा अपवाद को शिथिल कर सकेगी या लोप कर सकेगी।

धारा 15–क

अनुसूची–2 को संशोधित करने की राज्य शासन की शक्ति

(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अनुसूची–2 को संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूची तद्नुसार संशोधित हो जाएगी।

परन्तु घोषित माल से भिन्न उसमें विनिर्दिष्ट किसी माल के संबंध में कर की दर अनुसूची में विनिर्दिष्ट ठीक उच्चतर स्तर में विहित कर की दर से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और भी कि यदि किसी माल को अनुसूची के किसी एक भाग में से निकालकर तथा किसी दूसरे में अंतःस्थापित करके या की जाए या जोड़ी जाए तो ऐसे माल के संबंध में कर की दर अनुसूची में विनिर्दिष्ट ठीक उच्चतर स्तर में विहित कर की दर से अधिक नहीं होगी।

****

अध्याय–5

व्यापारियों का रजिस्ट्रीकरण

धारा 18

स्त्रोत पर कटौती का दायित्व आने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 27 के अंतर्गत स्त्रोत पर कटौती हेतु करदायी है, निर्धारित रीति एवं प्रारूप में आयुक्त से प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (1) के अंतर्गत, कर दायित्व आने के पश्चात् 30 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में आयुक्त के समक्ष रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा आयुक्त जो जांच उचित एवं आवश्यक समझते हैं, कराने के पश्चात्, आवेदन सही पाये जाने पर, आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेंगें।

(3) यदि कोई व्यक्ति कर दायित्व होते हुए भी उपधारा (2) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में, आयुक्त उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् एक सौ रूपये की शास्ति प्रत्येक दिवस के विलम्ब हेतु आरोपित करेगा, जो पांच हजार से अधिक नहीं होगी।

(4) यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी होते हुए अपने आवेदन में गलत जानकारी, इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त, उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति आरोपित करेगा, जो पांच हजार से अधिक नहीं होगी।

****

अध्याय–6

विवरणियां, निर्धारण, भुगतान तथा कर की वसूली

धारा 20

स्त्रोत पर कटौती का दायित्व आने पर विवरणियां प्रस्तुत करना

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 18 के अंदर पंजीयत है, ऐसे अधिकारी को, ऐसे प्रारूप में, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसी तारीख तक, जैसा कि निहित किया जाये, विरणियां देगा।

(2) इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक विवरणी देय कर के पूर्ण राशि के भुगतान के प्रमाण में कोषालय के चालान के साथ प्रस्तुत की जायेगी। चालान के अभाव में विवरणी प्रस्तुत की हुई नहीं मानी जावेगी।

(3) यदि कोई व्यक्ति, बिना किसी उचित कारण के निर्धारित तिथि तक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता, तो आयुक्त, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, शास्ति आरोपित करेगा, जो प्रत्येक दिवस के विलम्ब हेतु एक सौ रूपये से अधिक नहीं होगी।

(4) राज्य शासन ऐसी परिस्थितियों में, जो विनिर्दिष्ट की जायेगी, किसी व्यक्ति अंथवा वर्ग के व्यक्तियों को विवरणियां प्रस्तुत करने से मुक्त कर सकता है।

धारा 27

कतिपय मामलों में कटौती और कर का भुगतान

(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी व्यापारी को, ऐसे व्यापारी तथा केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में क्रेता के नाम से निर्दिष्ट है) के बीच हुई किसी संविदा के अनुसरण में किसी माल के विक्रय या प्रदाय के प्रतिफलस्वरूप किसी राशि का भुगतान करने के पूर्व या उसका नकद में या चैक या ड्राफ्ट जारी करने या किसी अन्य रीति में भुगतान करने के पूर्व, ऐसी रकम की, जो क्रेता द्वारा व्यापारी को कर के तौर पर देय रकम के बराबर है, जहां ऐसी बिल की कुल रकम पांच हजार रूपये से अधिक है, कटौती करेगा, और उसे ऐसी रीति में राज्य सरकार को चुकाएगा जैसी कि विहित की जाए।

(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तीन लाख रूपये से अधिक मूल्य की संकर्म संविदा, जिसके निष्पादन के अनुक्रम में ठेकेदार द्वारा किसी माल का विक्रय अंतर्वलित है, को किसी ठेकेदार को पट्टे पर देने वाला कोई व्यक्ति, ठेकेदार को ऐसी संविदा के मूल्य के मद्दे किसी कर के मद्दे दो प्रतिशत की दर से रकम का भुगतान करने के पूर्व, इस अधिनियम के अधीन ठेकेदार द्वारा देय रकम में कटौती करेगा।

परन्तु उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई कटौती नहीं की जायेगी यदि कर की राशि ऐसे व्यवसायी या व्यक्ति द्वारा किसी माल के विक्रय के संबंध में अंतर्राज्यीय व्यापार या व्यवसाय के दौरान या भारतीय क्षेत्र से निर्यात या भारतीय क्षेत्र में आयात या राज्य से बाहर निर्यात के दौरान देय हो।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रकम की कटौती कर लेने पर ऐसी कटौती करने वाला व्यक्ति उसके लिए व्यापारी या ठेकेदार को एक प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में जारी करेगा और ऐसी रकम को ऐसी रीति में और ऐसी कालावधि के भीतर सरकारी खजाने में जमा करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(4) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन भुगतान किया है, यह समझा जाएगा कि उसने भुगतान व्यापारी या ठेकेदार के प्राधिकार से या व्यापारी या ठेकेदार की ओर से किया है और ऐसे भुगतान की रसीद, उस क्रेता को व्यापारी या ठेकोदर से दायित्व का उस रकम की सीमा तक, जो ऐसी रसीद में विनिर्दिष्ट है, अच्छा और पर्याप्त उन्मोचन होगा।

(5) जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा किसी ठेकेदार की ओर से उपधारा (2) के अधीन किसी रकम का कोई भुगतान किया गया है, तो ऐसा भुगतान ऐसी संकर्म संविदा के, जिसके मूल्य के भुगतान में से ऐसी रकम की कटौती उपधारा (1) के अधीन कर ली गई है, निष्पादन के अनुक्रम में माल के विक्रय पर होगा और ऐसी रकम ठेकेदार के उत्तरदायित्व का अच्छा और पर्याप्त उन्मोचन होगा और ऐसी रकम ठेकेदार द्वारा ऐसे माल के विक्रय पर देय कर के मद्दे समायोजित की जाएगी।

(6) जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधो का उल्लघन करता है, वहां आयुक्त ऐसे व्यक्ति पर शास्ति के रूप में ऐसी रकम, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित रकम का दो प्रतिशत प्रतिमाह होगी, ऐसी रकम अधिकतम 25 प्रतिशत के अध्यधीन होगी, अधिरोपित कर सकेगा।

(7) कोई ऐसी राशि जिसे कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कटौती करने के लिए अपेक्षित है, या उपधारा (6) के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, यदि वह असंदत्त रह जाती है तो वह भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी।

(8) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में एक पत्रक, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, देगा।

स्पष्टीकरण–उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए ''व्यक्ति'' से अभिप्रेत है,–

(एक) केन्द्र या राज्य सरकार का विभाग;

(दो) सार्वजनिक उपक्रम (पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग);

(तीन) नगरपालिकाएं और नगर पालिका निगम;

(चार) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित प्राधिकरण;

(पांच) पब्लिक लिमिटेड कंपनी।

धारा 28

उन व्यक्तियों के लिए व्यावृति, जो स्त्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है

धारा 27 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यापारी या व्यक्ति को देय किसी प्रतिफल में से उक्त धाराओं के उपबंधों के अधीन कर के मददे कोई कटौती नहीं अथवा कम दर से कटौती की जाएगी, यदि ऐसा व्यापारी या व्यक्ति किसी माल के विक्रय या प्रदाय के संबंध में किसी रकम का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ऐसे प्राधिकारी का, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में जो कि विहित किया जाए, एक लिखित प्रमाणपत्र दे, देता है।

****

अध्याय—10

अपील, पुनरीक्षण तथा परिशुद्धि

धारा 48

अपील

(1) कोई भी व्यापारी या व्यक्ति जो उसके संबंध में धारा 21 के अधीन पारित किए गए शास्ति या शास्ति रहित कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के किसी आदेश से या उस पर शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से या ऐसे किसी आदेश से जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदाय या आगत कर रिबेट में कमी होती हो या धारा 54 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित हो, विहित रीति में, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील, जो धारा 3 की उप—धारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, अपर आयुक्त को तथा धारा 3 की उप—धारा (1) के खंड (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील, अपीलीय उपायुक्त को कर सकेगा :

परन्तु किसी ऐसे मामले में जिसमें कि धारा 36 के अधीन किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया गया है, वहां ऐसा व्यापारी या व्यक्ति कर निर्धारण के एक पक्षीय आदेश के विरूद्ध अपील वैसी ही रीति में कर सकेगा, और अपील फाइल करने के लिये परिसीमा काल की संगणना करने में धारा 36 के अधीन आवेदन फाइल किये जाने की तारीख से उस तारीख, जिसको कि ऐसे आवेदन को नामंजूर करने वाले आदेश की तामील की गई हो, तक कि कालावधि अपवर्जित कर दी जाएगी।

****

अध्याय—11

कर के अपवंचन का पता लगाना तथा उसका निवारण

****

धारा 58

जांच चौकियों की स्थापना तथा नाकों (बेरियर्स) का बनाया जाना

(1) राज्य सरकार और या आयुक्त यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन का निवारण करने या उसे रोकने की दृष्टि से वैसा करना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर रेल परिसरों को अपवर्जित करते हुए उस स्थान या उन स्थानों पर, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, जांच चौकियां या नाके स्थापित कर सकेंगे :

परन्तु आयुक्त एक बार में छः मास से अधिक की कालावधि के लिए कोई जांच चौकी स्थापित नहीं करेगा या कोई नाका (बेरियर) नहीं बनाएगा।

(2) (क) वाणिज्यिक कर अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई अधिकारी जांच चौकी का भारसाधक होगा (जो इसमें इसके पश्चात् जांच चौकी अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) और अधिकारियों के अन्य प्रवर्ग द्वारा उसे सहायता दी जाएगी।

(ख) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, जांच चौकी अधिकारी इस धारा के अधीन उसे प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(3) किसी यान का चालक या भारसाधक व्यक्ति या किसी यान में ले जाए जा रहे माल का कोई स्वामी या भारसाधक व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता के नाम से निर्दिष्ट है) जो ऐसे माल का परिवहन कर रहा हो जो कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचित माल के नाम से निर्दिष्ट है) माल के परेषक द्वारा यान में परिवहन किए जा रहे अधिसूचित माल के संबंध में ऐसी विशिष्टियां देते हुए जैसी कि विहित की जाएं जारी किया गया बीजक, बिल या चालान या कोई अन्य दस्तावेज, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अपने साथ रखेगा।

(4) (क) प्रत्येक परिवहनकर्ता जो किसी अधिसूचित माल का छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर परिवहन कर रहा हो, उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई किसी जांच चौकी या बनाए गए किसी नाके (बेरियर) को पार करने के पूर्व, जांच चौकी अधिकारी को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए जैसी कि विहित की जाएं, परेषक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एक घोषणा परिदत्त करेगा। जहां माल छत्तीसगढ़ में आयात किया जा रहा हो, वहां प्रत्येक परेषिती से संबंधित परेषण या परेषणों के बारे में पृथक घोषणा फाइल की जाएगी और जहां माल राज्य के बाहर भेजा जा रहा हो वहां प्रत्येक परेषक के परेषणों के बारे में पृथक घोषणा फाइल की जाएगी। यदि छत्तीसगढ़ में का परेषिती "स्वयं" के रूप में दर्शाया गया हो या वर्णित किया गया हो तो छत्तीसगढ़ में परिदत्त किये जाने वाले माल के संबंध में कोई भी घोषणा तब तक प्रतिगृहीत नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति के संबंध में पूर्ण विशिष्टियां तथा उसका पूरा पता न दिया गया हो जो कि छत्तीसगढ़ में गन्तव्य स्थान पर माल का परिदान प्राप्त करेगा।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट घोषणा पत्र, रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा विहित रीति में तथा विहित फीस का भुगतान करने पर अभिप्राप्त किया जाएगा।

(5) परिवहनकर्ता यान को प्रत्येक जांच चौकी या नाके (बेरियर) पर रोकेगा और उसे उतने समय तक के लिए खड़ा रखेगा जितना की जांच चौकी अधिकारी द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित किया जाए, और उसे यान की तलाशी लेने देगा और अधिसूचित माल का तथा उपधारा (3) में निर्दिष्ट किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, उसे अपना नाम तथा पता एवं यान के स्वामी के तथा माल के परेषक एवं परेषिती का नाम तथा पता देगा।

(6) जांच चौकी अधिकारी को ऐसे अधिसूचित माल को, या माल के साथ-साथ यान को, निरूद्ध करने या अभिगृहीत करने की शक्ति होगी,-

(क) जिसके कि संबंध में उपधारा (4) के अधीन कोई घोषणा नहीं है या ऐसी घोषणा या तो माल के प्रकार के या उसके परिमाण या मूल्य के संबंध में मिथ्या या गलत है; या

(ख) जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों में नहीं दर्शाया गया है या जिसके संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है; या

(ग) जिसके संबंध में उक्त दस्तावेज मिथ्या हैं, या जिनके मिथ्या होने का युक्तियुक्त रूप से संदेह है।

(7) यदि जांच चौकी अधिकारी, यान की तलाशी लेने तथा दस्तावेजों या घोषणा का सत्यापन करने के पश्चात् कोई ऐसी चूक पाता है, जो उपधारा (6) में निर्दिष्ट है, तब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे माल के संबंध में कर के अपवंचन को सुकर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, और वह उसके लिए लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे माल को या माल के साथ–साथ यान को ऐसी रीति में जो कि विहित की जाए, अभिगृहीत कर सकेगा।

(8) उपधारा (7) के अधीन अधिसूचित माल के अभिग्रहण करने के पश्चात् जांच चौकी अधिकारी, ऐसे समस्त माल की सूची तैयार करेगा जिस पर उसके स्वयं के तथा परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे तथा वह उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त उपाय करेगा।

(9) उपधारा (7) के अधीन अधिसूचित माल या माल के साथ–साथ यान का अभिग्रहण करने वाला जांच चौकी अधिकारी मामले के समस्त तथ्यों पर भी परिवहनकर्ता का कथन अभिलिखित करेगा और अभिगृहीत माल और यान के परेषक तथा परेषिती के संबंध में विशिष्टियां भी अभिप्राप्त करेगा। इस धारा के किसी उपबंध के अतिक्रमण के कारण भी, यदि कोई हो, अभिलिखित किए जाएंगे।

(10) यदि परिवहनकर्ता के कथन पर विचार करने के पश्चात् जांच चौकी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि स्पष्टीकरण संतोषप्रद है तथा यह कि अभिगृहीत माल के संबंध में कर के भुगतान का अपवंचन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था तो वह अपने निष्कर्ष, उसके लिए कारण देते हुए, अभिलिखित करेगा और माल या माल के साथ–साथ यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, निर्मुक्त कर देगा।

(11) यदि जांच चौकी अधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह परिवहनकर्ता पर विहित प्ररूप में एक सूचना, सूचना की तामील के सामान्यतः पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण दर्शाने के अपेक्षा करते हुए तामील करेगा कि कर की उस रकम के, जो कि उस दशा में देय होती जब कि अधिसूचित माल ऐसे अभिग्रहण की तारीख को राज्य के भीतर बेचा गया होता, पांच गुने से अनधिक ऐसी राशि की, जो कि सूचना में विनिर्दिष्ट हो, शास्ति उस पर क्यों न अधिरोपित की जाए।

(12) अधिसूचित माल का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उपधारा (13) के अधीन कार्यवाहियों के लंबित रखने के दौरान किसी भी समय नकद प्रतिभूति या अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी के रूप में ऐसी रकम की प्रतिभूति निक्षिप्त किए जाने पर, जो कि उसकी राय में उस शास्ति के लिए पर्याप्त होगी जिसका कि अधिरोपित किया जाना संभाव्य हो, माल या/तथा यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में निर्मुक्त कर सकेगा।

(13) जांच चौकी अधिकारी, परिवहनकर्ता के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् तथा उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि उसका परिवहनकर्ता के स्पष्टीकरण तथा कथन से समाधान हो जाता है तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से सूचना को प्रभावोन्ममुक्त कर देगा

तथा अभिगृहीत माल को या अभिगृहीत माल सहित या उसके बिना यान को परिवहनकर्ता के पक्ष में ऐसी रीति में निर्मुक्त कर देगा जो कि विहित की जाए। यदि उक्त अधिकारी का इस प्रकार समाधान न हो तो वह अपना निष्कर्ष, उसके लिए कारण देते हुए तद्नुसार अभिलिखित करेगा और सूचना में विनिर्दिष्ट राशि से अनधिक ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए, जैसी कि वह ठीक समझे, आदेश पारित करेगा।

परन्तु शास्ति की रकम, कर की उस रकम के, तीन गुने से अन्यून किन्तु पांच गुने से अधिक नहीं होगी, जो कि यदि माल राज्य के भीतर बेचा गया होता, तो उस पर देय होती।

(14) उपधारा (13) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की एक प्रति परिवहनकर्ता पर तामील की जाएगी।

(15) शास्ति या उसका ऐसा भाग, जो कि उपधारा (12) के अधीन निक्षिप्त की गई किसी रकम के समायोजन के पश्चात् बाकी बचे, निक्षेप शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की प्रति की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर विहित रीति में किया जाएगा। इसमें व्यतिक्रम होने पर जांच चौकी अधिकारी अधिसूचित माल का विक्रय ऐसी रीति में करवाएगा, जैसी कि विहित की जाए, तथा उसके विक्रय आगमों को शास्ति हेतु उपयोजित करेगा और बाकी, यदि कोई हो, परिवहनकर्ता को वापस कर देगा। यदि माल के विक्रय आगम शास्ति की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हों या उसके लिए प्रयत्न किए जाने के बावजूद माल का विक्रय नहीं किया जा सका हो तो उक्त अधिकारी उपरोक्त रीति में यान का विक्रय करवाएगा ओर उसके विक्रय आगमों को शास्ति के बकाया के हेतु उपयोजित करेगा और ऐसे विक्रय आगमों के अतिशेष को, यदि कोई हो, व्यापारी को वापस करेगा।

(16) जहां माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की उपधारा (11) या (13) के अधीन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय, यह राय हो कि अधिसूचित माल शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, या जबकि यह संभाव्य हो कि उन्हें अभिरक्षा में रखने संबंधी व्यय उनके मूल्य से अधिक हो जाएंगे, वहां वह शास्ति के अधिरोपण संबंधी कार्यवाहियों के पूर्ण होने की प्रतीक्षा किए बिना उसे ऐसी रीति में बिकवा सकेगा, जैसी कि विहित की जाए, तथा उसके विक्रय आगमों को उक्त कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक के लिए निक्षेप में रख सकेगा। निक्षेप में इस प्रकार रखी गई रकम, ऐसी शास्ति यदि कोई हो, जो कि अधिरोपित की जाए, के हेतु उपयोजित की जाएगी तथा बाकी अतिशेष, यदि कोई हो, उपधारा (15) के उपबंधों के अनुसार परिवहनकर्ता को वापस कर दी जाएगी।

(17) उपधारा (13) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 48 और 49 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा।

(18) परेषक या परेषिती उस घोषणा की प्रति को तथा घोषणा के अंतर्गत माल से संबंधित उन अन्य दस्तावेजों को, ऐसी कालावधि तक बनाए रखेगा, जैसी कि विहित की जाए, और उस कालावधि के भीतर जब कभी भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उनकी मांग की जाए, उन्हें उसके समक्ष पेश करेगा।

धारा 59

राज्य में से होकर सड़क द्वारा माल का अभिवहन तथा अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) का जारी किया जाना

(1) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आने वाला तथा राज्य से बाहर के किसी अन्य स्थान को जाने वाला कोई यान राज्य में से होकर गुजरता हो, तो ऐसे यान का चालक या भारसाधक अन्य व्यक्ति (जो इसमें इसके पश्चात् परिवहनकर्ता को नाम से निर्दिष्ट है) राज्य में अपने प्रवेश के पश्चात् प्रथम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी से एक अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) विहित प्ररूप तथा रीति में अभिप्राप्त करेगा तथा राज्य में से अपने निर्गम के पूर्व उसे अंतिम जांच चौकी के जांच चौकी अधिकारी को परिदत्त करेगा, ऐसा न होने पर यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे यान द्वारा वहन किया गया माल परिवहनकर्ता द्वारा राज्य के भीतर बेच दिया गया है।

(2) प्रवेश स्थान पर वह जांच चौकी अधिकारी जो अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) जारी करता है, उस स्थान के जहां से कि परिवहनकर्ता यह घोषणा करता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया जाएगा, निकट के जांच चौकी या नाके के जांच चौकी अधिकारी को अपने द्वारा जारी किए गए अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) में अंतर्विष्ट जानकारी सूचित करेगा. यदि अभिवहन पास की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर वह यान या माल जो अभिवहन पास के अंतर्गत आता हो, निर्गम स्थान पर नहीं पहुंचता है तो निर्गम स्थान पर की जांच चौकी या नाके का जांच चौकी अधिकारी तुरंत इस तथ्य को प्रवेश स्थान पर की जांच चौकी या नाके के जांच चौकी अधिकारी को ध्यान में लाएगा. तत्पश्चात् कथित अधिकारी परिवहनकर्ता से ऐसी शास्ति वसूल करने की कार्यवाही शुरू करेगा जो कि धारा 58 के उपबंधों के अधीन उद्गृहीत की जा सकती थी,

(3) अभिवहन पास के अंतर्गत आने वाले किसी माल या माल के साथ–साथ यान के संबंध में धारा 58 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

****

अध्याय–12

अपराध तथा शास्तियां

धारा 64

अपराध तथा शास्तियां

धारा (1) कोई भी जो,–

(क) धारा 11 या धारा 37 की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण करेगा; या

****

(ञ) (एक) धारा 58 के अधीन घोषणा फाईल नही करेगा;

(दो) धारा 58 के अधीन किसी यान की तलाशी रोकेगा या उसमें बाधा डालेगा या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाएगा; या

****

अध्याय–13

प्रकीर्ण

धारा 65

कर समाशोधन प्रमाण पत्र का पेश किया जाना

केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकारों या ऐसी सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कोई विभाग या कार्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है या राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई सार्वजनिक उपक्रम किसी व्यापारी के साथ उसके द्वारा तीन लाख रूपये से अधिक मूल्य के माल का विक्रय या प्रदाय करने की संविदा करने के पूर्व ऐसे व्यापारी से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे प्ररूप में ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला, ऐसी रीति में, ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि विहित किया जाए, कर समाशोधन प्रमाणपत्र पेश करें।

****

अध्याय–14

नियम बनाने की शक्ति, निरसन तथा व्यावृति, अस्थायी उपबंध तथा कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

धारा 71

नियम बनाने की शक्ति

****

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना, राज्य सरकार, निम्नलिखित को विहित करने हुए नियम बना सकेगी,–

****

(ङ) वह रीति जिसके द्वारा ठेकेदार अथवा उप–ठेकेदार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कर का भुगतान प्रमाणित किया जावेगा;

(च) संदत्त किए जाने हेतु एकमुश्त राशि के अवधारण के प्रयोजन के लिए दर तथा वह रीति जिसमें एकमुश्त राशि अवधारित की जाएगी तथा वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिसमें ऐसी एकमुश्त राशि का संदाय धारा 10 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के अधीन किया जाएगा;

****

(ब) (एक) धारा 57 की उपधारा (3) के अधीन वे शर्ते जिनके अध्याधीन रहते हुए आयुक्त, लेखा, रजिस्टर्ड या दस्तावेज पेश करने अथवा अन्य जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा;

****

(चार) (क) वह रीति जिसमें जांच चौकियां स्थापित की जाएंगी या नाके (बेरियर्स) बनाए जाएंगे, वह रीति जिसमें और वह फीस जिसका भुगतान करने पर घोषणापत्र अभिप्राप्त किया जायेगा, वह प्ररूप तथा रीति जिसमें घोषणा तथा अन्य दस्तावेज परिदत्त किए जाएंगे या फाइल किए जाएंगे, वह रीति जिसमें माल अभिगृहीत किया जाएगा या निर्मुक्त किया जाएगा, सूचना तामील किए जाने का प्ररूप, वह रीति जिसमें शास्ति जमा की जाएगी, वह रीति जिसमें अभिगृहीत माल बेचा जाएगा, वह कालावधि जिस तक घोषणा तथा अन्य दस्तावेजें धारा 58 के अधीन परेषिती द्वारा रखे जाएंगे;

(ख) वे निर्बन्धन जिसके अधीन रहते हुए धारा 58 के अधीन किसी यान को रोका जा सकेगा।

(ग) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें धारा 59 के अधीन पास अभिवहन अभिप्राप्त होगा;

(म) वह प्ररूप तथा वह रीति जिसमें, वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, वह समय जिसके भीतर तथा वह कालावधि जिसके लिए कर समाशोधन प्रमाण पत्र धारा 65 के अधीन जारी किया जाएगा;

****

धारा 72

निरसन तथा व्यावृति

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को निरसित हो जायेगा;

****

परन्तु,–

(एक) ऐसे निरसन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,–

****

(ख) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिसने राज्य में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है या जिसने ऐसी औद्योगिक इकाई का विस्तार, आधुनिकीकरण या शबलीकरण कर दिया था, कर के भुगतान से छूट/कर के भुगतान के आस्थगन के तौर पर औद्योगिक रियायत की सुविधा का लाभ उठाने के लिये उस अधिनियम के अधीन उद्भूत अधिकार या प्राधिकार को सम्मिलित करते हुए, ऐसे अधिकार विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर जो निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो;

परन्तु इस अधिनियम के अंतर्गत किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा जिसमें राज्य में नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है या जिसने ऐसी औद्योगिक इकाई का विस्तार, आधुनिकीकरण या शबलीकरण कर दिया था, कर के भुगतान से छूट/कर की भुगतान के आस्थगन के तौर पर औद्योगिक रियायत की सुविधा को राज्य शासन द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित /सुधारित किया जाएगा। राज्य शासन इस हेतु अधिसूचना जारी कर सकेगा या निरसित अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना को संशोधित कर सकेगा।

****

अनुसूची–1 :

[धारा 15 देखिये]

करमुक्त वस्तुएं

****

अनुक्रमांक	माल का वर्णन	शर्त तथा अपवाद जिनके अध्यधीन रहते छूटी दी गई है
(1)	(2)	(3)
1	शारीरिक रूप से कार्यान्वित या पशुओं द्वारा चलाए जाने वाले कृषि उपकरण, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कृषि उपकरण शामिल है।	
2	विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सहायक तथा उपकरण	
3	हाथीदांत, सोने या चांदी, रोल गोल्ड तथा इमीटेशन गोल्ड से बनी चूड़ियो से भिन्न सब प्रकार की चूड़ियां	
4	जली खाद्य, कुक्कुट खाद्य और पशुआहार जिसमें घास, सूखी घास तथा भूसा सम्मिलित है	
5	पान	
6	पुस्तकें, पंचाग, नियतकालीन पत्रिकाएं(पीरियाडिकल्स) तथा जरनल्स जिनमें नक्शें, चार्ट तथा ग्लोब सम्मिलित है	
7	ब्रेड (मार्क वाली, या अन्य प्रकार की)	
8	पशुओं द्वारा चलाए जाने वाली गाड़ी	
9	चरखा तथा अम्बर चरखा, हाथ करघे (हैडलूम्स) और हाथ करघा फेब्रिक तथा गांधी टोपी	
10	चारकोल	
11	कंडोम और गर्भनिरोधक (कन्ट्रासेपटिब्ज)	

12	काटन तथा सिल्क यार्न लच्छी में	
13	दही, लस्सी, मक्खन, छाछ तथा सेपरेटा दूध	
14	मिट्टी के बर्तन तथा मिट्टी से बनी वस्तुएं	
15	विद्युत ऊर्जा	
16	खादी क्लाथ और हैण्डलूम क्लाथ	
17	केसरिना तथा यूकेलिप्ट्स की लकडी को छोड़कर जलाऊ लकड़ी (फायर वुड)	
18	मत्स्य जाल तथा बुना हुआ जाल	
19	फ्लाई एश	
20	(i) धान से भिन्न सभी प्रकार के अनाज तथा खाद्यान (ii) दलहन	
21	ताजा दूध तथा कीटाणु रहित दूध	
22	ताजी वनस्पति नया पौधा तथा ताजे फूल	
23	ताजी सब्जी (जिसमें आलू एवं प्याज सम्मिलित है) तथा फल	
24	लहसुन तथा अदरक (सूखी अदरक अपवर्जित करते हुए)	
25	(एक) मेडिसिनल एंड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 (क्रं. 16 सन् 1955) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितियों, तथा (दो) एफ.एल.–10 अनुज्ञप्तिधारी वितरक द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा'' से भिन्न माल जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) के अधीन शुल्क उद्गृहित किया जाता है या उद्गृहित किया जा सकता है।	
26	गुड तथा खांड	
27	बेल मेटल तथा पटवॉ लोहा से निर्मित हस्तशिल्प	
28	रक्त घटको सहित मानव रक्त	
29	भूसा जिसमें मूंगफली का भूसा सम्मिलित है तथा धान्यों के चोकर एवं तेलरहित खली जिसमें सोयामील सम्मिलित है।	
30	हाथ से बनाए हुए स्वदेशी वाद्य यन्त्र	
31	कुमकुम, बिंदी, आल्ता, सिंदूर	
32	सिलाई अथवा दबा कर बनाए गये पत्ते कप तथा प्लेट (दोने एवं पत्तल)	
33	मांस, जिसमें कुक्कुट मांस सम्मिलित है, मछली,	

	झींगा तथा अन्य जलीय उत्पाद जब अभसाधित या स्तंभित अथवा सीलबंद आधानों में विक्रय किया गया न हों, अण्डे और पशुधन तथा पशुओं के बाल	
34	सरकंडे से बने मुड्‌डे	
35	राष्ट्रीय ध्वज	
36	सरकारी खजाने द्वारा बेचे गए न्यायिकेतर (स्टाम्प पेपर सादा कागज सामान्यतः वेष्ट पत्र (चित्रण पत्र) सरकार द्वार बेची गई डाक सामग्री जैसे लिफाफे पोस्टकार्ड आदि रूपया नोट जब रिजर्व बैंक आफ इंडिया को बेचे जाए तथा चैक खुले हुए या पुस्तक प्ररूप में	
37	कार्बनिक खाद जिसमें गोबर सम्मिलित है	
38	पापड़	
39	पोहा मुरमुरा तथा लाई	
40	राखी	
41	कच्ची ऊन	
42	सबाई घास तथा सबाई घास के निर्मित रस्सी	
43	नमक (मार्क वाला या अन्य प्रकार का)	
44	मेथी, धनिया तथा ऐसे बीज जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 14) की धारा 14(6) में विनिर्दिष्ट पद ''तेलबीज'' के अंतर्गत आते हैं, को छोड़कर सभी प्रकार के बीज	
45	वीर्य जिसमें स्तंभित वीर्य सम्मिलित है	
46	रेशम कृमि पालन कोया (कनून) तथा कच्चा रेशम	
47	सिराली, बगेसी, बरू, ताड़ पत्तियां, इनसे निर्मित टोकनियां, टट्‌टे, पंखे, पर्दे, चटाईयां तथा अन्य वस्तुएं, हस्त निर्मित सूमा तथा गिरमा, हरत निर्मित चमड़े की बरही, बास तथा रेशेदार पौधों जैसे सबाई, शीसल आदि से बने बर्तन तथा सजावटी वस्तुएं	
48	स्लेट, स्लेट पैंसिल्स तथा चाक, स्टीक्स	
49	[..........]	
50	कच्चा हरा नारियल	
51	ताड़ी नीरा तथा अर्क	
52	[..........]	
53	बिना मार्क वाली झाडू (फूलबाहरी, झाडू)	
54	(एक) वातित खनिज आसूत औषधीय आयनिक	

	बैटरी अवातितजल तथा (दो) सीलबंद साधनों में बेचे जाने वाले जल को छोड़कर अन्य जल	
55	मच्छरदानी	
56	हस्त निर्मित साबुन	
57	स्प्रिंकलर एवं ड्रीप सिस्टम तथा इनके स्पेयर पार्ट्स	
58	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित शक्ति चलित कृषि उपकरण।	
59	मेंहदी	
60	प्लास्टिक एवं रबर से बने पदत्राण, जिनका अधिकतम खुदरा विकय मूल्य प्रतिजोड़ा एक सौ पचास रूपये से अधिक न हो।	
61	टीन की पेटी एवं कोठी	
62	स्थानीय उद्जनित फर्शी पत्थर	
63	हेलमेट	
64	घरेलू उपयोग हेतु तरलीकृत पेट्रोलियम गैस	

अनुसूची–2 :

[धारा 8 देखिये]

****

भाग–1

भाग–1 : वस्तुएं जिन पर कर की दर 1 प्रतिशत है।

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दरः (प्रतिशत)	धारा 8(दो) के अधीन कर की दरः(प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सोने तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के, बुलियन तथा सिक्के (स्पेसी) सम्मिलित है,	1	–
2	निजी पहनने के सोने, चांदी तथा प्लेटिनम के आभूषण	1	–
3	बहूमूल्य धातु अर्थात सोना, चांदी, प्लेटिनम, औसमियम, पैलेटियम, रेडियम, रूथेनियम तथा इनमें से किसी का मिश्रण (एलाय)	1	

	स्पष्टीकरण:—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये बहुमूल्य धातु के मिश्रण (एलाय का अर्थ है कि ऐसे मिश्रण (एलाय) में बहुमूल्य धातु की शुद्धता पचास प्रतिशत से कम न हो		
.4	बहुमूल्य रत्न जैसे—हीरा, पन्ना, मणिक, मोती तथा नीलम चाहे वे पृथक से या किसी ऐसी वस्तु के भाग के रूप में जिसमें वे जड़े हो बेचे जाएं	1	—
5	सभी प्रकार के कपड़े (खादी क्लाथ, हैण्डलूम क्लाथ, हेसियन क्लाथ एवं सिल्क क्लाथ को छोड़कर)	1	—
6	शक्कर एवं खांडसारी (मिश्री, चिरौंजी (इलायची दाना और बताशा को छोड़कर)	1	—

भाग—2

भाग—2 : वस्तुएं जिन पर कर की दर 5 प्रतिशत है।

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दरः(प्रतिशत)	धारा 8(एक) के अधीन कर की दरः(प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	एसिड आयल, फैटी एसिड, आयल स्लज, सोप स्टॉक, लेसी थीन	5	—
2	पेट्रोल एवं डीजल के योजक	5	
3	कृषि उपकरण शारीरिक रूप से कार्यन्वित नही किए जाने वाले या पशुओं द्वारा नहीं चलाए जाने वाले	5	
4	संसूचना के समस्त उपस्कर जैसे—प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (पी बी एक्स) तथा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट आटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज(ई पी बी एक्स)	5	
5	समस्त अभौतिक वस्तुएं जैसे कापीराइट, पेटेंट, रीप लायसेंस इत्यादि	5	
6	(एक) एच.डी.पी.ई., एल.डी.पी.ई. तथा पी.पी. वूवन सेक्स को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के बेग, (दो) सभी प्रकार की रस्सियां तथा डोरियां (ट्वाइन) जिनमें पटसन, डोरी (ट्वाईन) सम्मिलित है, (तीन) आधान (कन्टेनर) तथा संवेस्टन सामग्री (पैकिंग मट्रेरियल) के रूप में	5	

	उपयोग हेतु वस्तुएं		
7	समस्त प्रकार के रसायन, अम्ल तथा गंधक (सल्फर)	5	
8	सभी प्रकार की ईटे जिसमें उड़ने वाली राख से बनी ईट ऊष्मसह ईट, असफाल्टिक रूफिंग, मिट्टी के टाइल्स सम्मिलित है	5	
9	सभी प्रसंस्कृत फल जिसमें फ्रुट जेम, जेली आचार, फ्रुट्स स्क्वेश, पेस्ट, फ्रुट ड्रिंक्स व फ्रुट जूस सम्मिलित है (सीलबंद आधानों में या अन्य प्रकार से)।	5	
10	लच्छी में सूती एवं रेशमी सूत को छोड़कर सभी प्रकार का सूत तथा सिलाई का धागा	5	
11	स्टील प्रबलित एल्यूमिनियम कंडक्टर (ए.सी.एस.आर.)	5	
12	एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एलाय (मिश्रण) उनके उत्पाद जिनमें बहिबंधन (एक्सस्ट्ररूजन) सम्मिलित है, जो इस अनुसूची अथवा किसी अन्य सूची में वर्णित नहीं है	5	
13	बहुमूल्य धातु से बने बर्तन को छोड़कर सभी बर्तन जिसमें प्रेशर कुकर/पैन सम्मिलित है	5	
14	सुपारी पावडर तथा सुपारी	5	
15	रोल्ड गोल्ड तथा इमीटेशन गोल्ड से बनी वस्तुएं और इमीटेशन ज्वेलरी	5	
16	बायोगैस	5	
17	बांस	5	
18	बियरिंग	5	
19	बेडशीट, पिलोकव्हर तथा अन्य बनी हुई वस्तुएं	5	
20	पट्टा (बेलटिंग्स)	5	
21	बायसिकल, ट्रायसिकल, सायकिल रिक्शा तथा उनके पुर्जे, टायर और ट्यूब एवं उप साधन	5	
22	बायोमास ब्रिकेट	5	
23	बिटुमिन (कोल–टार), बिटुमिन इमल्सन	5	
24	अस्थिचूर्ण	5	
25	थोक औषधि(बल्क ड्रग्स)	5	
26	कैण्डल (मोमबत्ती)	5	
27	पूंजीगत माल जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे	5	
28	अरण्डी का तेल	5	
29	ढलाई (कास्टिंग) सभी धातुओं की	5	

30	रासायनिक खादें, जैविक खाद जिसमें सूक्ष्म पोषक (माइक्रोन्यूट्रिएंट) पौध विकास प्रवर्तक (प्लांट ग्रोथ प्रमोटर) पौध पोषक (प्लांट न्यूट्रिएंट) सम्मिलित है, हार्बिसाईड, रोडेन्टीसाईड, नाशक जीवमार (पेस्टीसाइड़) घासफूसनाशक दवाइयां (बीडी साइड्स) तथा कीटनाशक दवाइयां (इन्सेक्टिसाइड्स)	5	
31	सेन्ट्रीफ्यूगल तथा मोनोब्लाक सबमर्सीबल पंप तथा उसके पुर्जे	5	
32	मिट्टी जिसमें अग्नि सह मिट्टी (फायर क्ले), उत्तम चायना क्ले तथा वाल क्ले सम्मिलित है	5	
33	कोयले की सभी प्रकार की राख तथा कोयले का चूरा	5	
34	काफी तथा काफी के बीज, कोकोआ पोड़, हरी चाय पत्ती तथा चिकोरी (कासनी)	5	
35	कॉयर तथा कॉयर उत्पाद जिसमें कॉयर के गद्दे सम्मिलित नहीं है	5	
36	[..........]	5	
37	कपास तथा काटन वेस्ट	5	
38	कुठाली (क्रुसीबल्स)	5	
39	कागज तथा प्लास्टिक से बने कप, प्लेट एवं गिलास	5	
40	अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 की धारा 14 में यथा निर्दिष्ट घोषित माल	5	
41	सूखी सब्जियां तथा वनस्पति, मशरूम और संसाधित सब्जियां	5	
42	औषध तथा औषधि सहित औषधि लाईसेंस के अधीन उत्पादित वैक्सीन, सिरींज और ड्रेसिंग मेडिकल ओइंटमेंट	5	
43	अम्लीय रजक (डाईज) तथा मूल रजक (डाईज) सहित रजक	5	
44	खाने का तेल, वनस्पति तेल एवं खली (आइल केक) किंतु नारियल तेल को छोड़कर	5	
45	इलेक्ट्रोड्स	5	
46	[..........]	5	
47	दूध पीने की बोतल, निप्पल	5	
48	ढली हुई लौह और अलौह धातु तथा एलायस अलौह जैसे एल्युमिनियम तांबा जस्ता तथा उनके बहिबंधन (एक्स्ट्रूजन)	5	
49	सभी प्रकार के फाइबर तथा फाइबर	5	

	क्षेप्य		
50	पिसान (फ्लोर), आटा, मैदा, सूजी, बेसन आदि	5	
51	तले चने तथा भुने चने	5	
52	ग्लूकोज–डी	5	
53	हैण्ड पंप तथा अतिरिक्त पुर्जे	5	
54	जड़ी, छाल, सूखी वनस्पति, सूखी जड़, सामान्यतः जो जड़ीबूटी तथा सूखे फूल के रूप में जानी जाती है	5	
55	शहद	5	
56	होस पाइप	5	
57	होजरी का माल	5	
58	बर्फ	5	
59	धूपबत्ती सामान्यतः जो अगरबत्ती धूपकाडी या धूपबत्ती के नाम से जानी जाती है, धूप एवं लोभान	5	
60	राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक आगत	5	
61	औद्योगिक केबल्स, उच्चताप केबल्स, एक्सएल पी ई केबल्स, जलीफील्ड केबल्स, आप्टीकल फाइबर्स	5	
62	इन्सूलेटर्स	5	
63	आई टी उत्पाद जिनमें सम्मिलित है कम्प्यूटर, टेलीफोन, मोबाईल हेंडसेट एवं सेल्यूलर टेलीफोन तथा उसके पुर्जे टेलीप्रिंटर और वायरलेस उपकरण तथा उसके पुर्जे	5	
64	कत्था	5	
65	केरोसिन लेम्प/लालटेन, पेट्रोमेक्स, कांच की चिमनी	5	
66	[..........]	5	
67	खोवा (मावा)	5	
68	बुनाई का ऊन	5	
69	लिगनाइट	5	
70	चूना, चूने की पत्थर तथा चूने के उत्पाद	5	
71	लिनियर अल्काइल बैंजेन	5	
72	लाटरी टिकिट	5	
73	मक्का की स्टार्च, ग्लटन, अंकुर एवं तेल	5	
74	औषधीय उपकरण (इक्वीपमेंट)/साधन (डिवाइसेस) तथा इम्पलांट्स	5	
75	मिश्रित पी.वी.सी. स्थिरक	5	
76	न्यूजप्रिंट	5	
77	निवार	5	

78	नेपास्लेब (रफ फ्लेरिंग स्टोन)	5	
79	नट, बोल्ट, स्क्रू तथा योजक (फासनर्स)	5	
80	पुरानी तथा सेकण्ड–हैंड कार	5	
81	अयस्क तथा खनिज	5	
82	[..........]	5	
83	खाद्य श्रेणी को छोडकर सभी प्रकार का पैराफीन वैकस जिसमें मानक वैक्स, मैच वैक्स तथा स्लैक वैक्स सम्मिलित है	5	
84	सभी प्रकार के पेन एवं रिफिल	5	
85	पेट्रोकेमिकल्स	5	
86	सभी प्रकार के पाइप जिसमें डक्टाइल पाइप तथा पी वी सी पाइप तथा उनकी फिटिंग्स सम्मिलित है	5	
87	प्लास्टिक पदत्राण (फुटवियर), जिसमें हवाई चप्पल तथा उनके पट्टे सम्मिलित है	5	
88	प्लास्टिक के दाने, प्लास्टिक पाउडर तथा मास्टर बेचेज	5	
89	दलिया (पौरिज)	5	
90	छपी हुई सामग्री जिसमें सम्मिलित है डायरी कलैंडर इत्यादि	5	
91	[..........]	5	
92	प्रसंस्कृत मांस, कुक्कट मांस तथा मछली	5	
93	बांस लकडी तथा कागज की लुगदी	5	
94	रेल के डिब्बे इंजन, वेगन तथा इनके पुर्जे	5	
95	बने बनाए वस्त्र	5	
96	नवीकरणीय उर्जासाधन तथा अतिरिक्त पुर्जे	5	
97	रेत (बालू रेत) तथा गिट्टी, बजरी	5	
98	सिलाई मशीन, इसके पुर्जे तथा उपसाधन	5	
99	जहाज तथा अन्य जलयान	5	
100	माचिस (सेफ्टी मैचेस)	5	
101	[..........]	5	
102	मलाई निकला हुआ दूध, दूध पावडर तथा यूटीएच दूध	5	
103	जैव शोधक्षम तेल से भिन्न शोधक्षम तेल (आर्गनिक सालवेट आइल से भिन्न सालवेंट आइल)	5	
104	चश्में, उनके पूर्जे तथा घटक, कांटेक्ट लेंस एवं लेंस क्लीनर	5	
105	सभी प्रकार तथा सभी किस्म के मसाले	5	

	जिनमें जीरा बीज, सौफ, हल्दी, सूखी मिर्च तथा हींग सम्मिलित है		
106	पहनने के परिधान तथा पदत्राण (फुटवियर) को छोड़कर खेल का सामान	5	
107	स्टेनलेस स्टील की चादरें जो घोषित वस्तुओं में सम्मिलित नहीं है	5	
108	स्टार्च	5	
109	इमली, इमली के बीज एवं पाउडर	5	
110	चाय	5	
111	टूल्स (औजार) जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं	5	
112	ट्रेक्टर हार्वेस्टर, अनुलग्नक तथा उसके पुर्जे जिसमें टायर एवं ट्यूब शामिल है	5	
113	ट्रांसफार्मर	5	
114	ट्रांसमिशन टावर	5	
115	उद्यान छाते से भिन्न छाता	5	
116	वनस्पति (उद्जनित वनस्पति तेल)	5	
117	पिंड खजूर	5	
118	स्टेशनरी सामग्री जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।	5	
119	आयरन एवं स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टि या अन्य सामग्री से निर्मित बाल्टी किंतु बहुमूल्य सामग्री से निर्मित को छोड़कर	5	
120	फिनायल	5	
121	एच.डी.पी.ई. वुवन फब्रिक्स तथा तारपोलिन	5	
122	इक्ट्रॉनिक खिलौने को छोड़कर खिलौने	5	
123	फोटोग्राफिक पेपर	5	
124	स्टे सेट्स, ट्रांसमिशन लाईन फिटिंग्स, तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाईन के लिये क्लेम्पस्	5	
125	बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहन	5	
126	प्लास्टिक कंघी	5	
127	नेल पॉलिष जिसका विकय मूलय रू. दस से अधिक	5	
128	काम्पेक्ट फ्लोरेसेंट लेम्पस्	5	
129	आडियों कैसेट	5	
130	बारबेड वायर	5	
131	सीमेंट कांकीट पोल	5	
132	अनिर्मित तम्बाकु तथा बीड़ी	5	
133	इंडस्ट्रीयल केबल (हाई वोल्टेज केबल, प्लास्टिक कोटेड केबल, जेली फील्ड केबल, आप्टिकल फायबर केबल)।	5	

भाग–3

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दरः(प्रतिशत)	धारा 8(एक) के अधीन कर की दरः(प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डीजल	–	25 (प्रतिशत) + 1 रुपया प्रति लीटर
2	पेट्रोल	–	25 (प्रतिशत) + 2 रुपया प्रति लीटर
3	एबीएशन टरबाईन फ्यूल जो केंन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (1956 का 74) की धारा 14 के खण्ड (दो–घ) में विनिर्दिष्ट किए गए से भिन्न है	–	25
4	प्राकृतिक गैस	–	25
5	तेंदूपत्ता	–	25
6	पी डी एस द्वारा बेचा गया केरोसिन तेल	–	4
7	एफ.एल.–10 अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा		8.5

भाग–4

भाग–4 : वस्तुएं जिन पर कर की दर 14.5 प्रतिशत है।

अनुक्रमांक	विवरण	धारा 8(एक) के अधीन कर की दरः(प्रतिशत)	धारा 8(एक) के अधीन कर की दरः(प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	समस्त अन्य माल जो अनुसूची –1 तथा इस अनुसूची के भाग–1, 2 तथा 3 के अंतर्गत नही आते हैं।	14.5	–

अनुसूची–3

अनुसूची–3 :– ऐसे वस्तुओं की सूची जिस पर आगत कर की पात्रता नही है।

अनुक्रमांक	माल का विवरण
(1)	(2)
(1)	पेट्रोल डीजल एवीएशन टर्‌बाइन फ्यूल प्राकृतिक गैस केरोसिन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस तथा कम्प्रेस्ट प्राकतिक गैस
(2)	निर्माण अथवा व्यवसाय में उपयोग के लिए भूमि एवं सिविल निर्माण जिसमें कार्यालय भवन तथा अन्य संबंधित निर्माण सम्मिलित है, पर किया गया पूंजीगत व्यय।
(3)	सेकेण्ड हेण्ड पूंजीगत माल,
(4)	फर्नीचर एवं फिक्श्चर, जिसमें वातानुकूलन (एयर कंडिश्नर) तथा प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर्स) सम्मिलित है,
(5)	मोटर कार, दो पहिया मोटरयान, उनके पूर्जे तथा उप साधन,
(6)	विद्युत/शक्ति, जिसमें केप्टीव शक्ति उत्पादन संयंत्र सम्मिलित है, के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला पूंजीगत माल,
(7)	निर्माण, व्यवसायिक गतिविधयां तथा सेवा का प्रदाय जो अधिनियम के अंतर्गत करमुक्त है, में प्रयुक्त होन वाला पूंजीगत माल,
(8)	ऐसा अन्य माल जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय''
	(एक) चारकोल को छोड़कर सभी प्रकार का कोल एवं कोक, जिसका उपयोग विद्युत/शक्ति उत्पादन में हो, जिसमें केप्टिव शक्ति उत्पादन संयंत्र शामिल है।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.